न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 105/2016

अपीलांट

मांगीलाल पुत्र पालारामजी उम्र 48 वर्ष जाति मीणा निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर जालोर
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल
3. पटवारी पटवार हल्का भीनमाल सी तहसील भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री निखिल कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी जालोर

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा भीनमाल में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नंबर 3141 रकबा 0.09 बीघा 2 बिस्वा किस्म भूमि बारानी द्वितीय अपीलांट ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान बएवज रूपये 45000/– खातेदार वीरा पुत्र पाता भील निवासी भीनमाल से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तब से उपरोक्त आराजी पर अपीलांट बैहसियत काबिज है। रिसेटलमेंट के दौरान उपरोक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 5999 रकबा 0.32 हैक्टेर जिसमे खसरा नंबर 3120/1 की भूमि सम्मिलित की गई खसरा नंबर 6873 रकबा 0.17 हैक्टर एपवं खसरा नंबर 6880 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

0.58 हैक्टर खसरा नंबर 6879 रकबा 0.65 हैक्टर कायम किये गये वीरा के नाम म्यूटेशन रिसेटलमेंट के दौरान जरिये म्यूटेशन संख्या 27 भरा जाकर दिनांक 29.01. 1990 को स्वीकार किया गया, उससे पूर्व वीरा का नाम बैहसियत गैर खातेदार के रूप में दर्ज था, साथ ही म्यूटेशन में वीरा का कब्जा होना सिलिंग प्रीमीयम सनद फीस एवं संपूर्ण लगान जमा होने का भी पूर्ण उल्लेख है पूर्व खसरा नंबर 3141 से लगता खसरा नंबर 3140 स्थित है जिसके नवीन खरा नंबर 5998 में रकबा 0.31 हैक्टर कायम किये गये है। वर्तमान खसरा नंबर 5999, 6873, 6879 का रकबा 1.14 हैक्टर ही बनता है तथा खसरा नंबर 5998 का रकबा 0.31 हैक्टर जोडे जाने पर 1.45 हैक्टर पूरा रकबा बन जाता है जो 9 बीघा 2 बिस्वा के लगभग बनता है। सेटलमेंट अधिकारियो ने वक्त रिसेटलमेंट म्यूटेशन वीरा के नाम स्वीकृत करने के बावजूद वीरा का नाम वादग्रस्त आराजी से विलोपित कर दिया, जिसकी कोई सूचना नहीं दी गई जबकि वादग्रस्त आराजी पर रिसेटलमेंट वीरा का कब्जा था एवं खरीद के बाद अपीलांट का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने उक्त वादग्रस्त आराजी को खातेदारी घोषित कराने को निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया। जबकि सेटलमेंट विभाग को खातेदारी हक समाप्त करने या किसी को नये सिरे से देने तथा बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। किन्तु सेटलमेंट अधिकारियो ने मनमाने तरीके से वादग्रस्त आराजी को राजकीय खाते में दर्ज कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त आवंटन निरस्त करने का अधिकार एक मात्र जिला कलक्टर को है। अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की तरफ से प्रस्तुत जवाब में आवंटन निरस्तीकरण करने अथवा उस संबध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई भी उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये बेचान के खरीद की है एवं बेचान निरस्तीकरण का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के पक्ष में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य दोनो की मजबूत साक्ष्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के उक्त दस्तावेजो का कोई खंडन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे। एवं रेस्पोडेन्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी में दखलदांजी न करे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरा नंबर 5999, 6873, 6879 5998 कुल रकबा 1.45 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। एवं सिवायचक भूमि है। जिसकी कानूनन खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरा नंबर 5999, 6873, 6879 5998 कुल रकबा 1.45 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी के संबध में वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार भीनमाल का जवाब पेश हुआ जिसमे उन्होने वादग्रस्त आराजी को राजकीय सिवायचक होना जाहिर किया। उसके पश्चात अपीलांट अपीलांट मांगीलाल तथा गवाह रामलाल के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध कराये गये तथा अशोक कुमार के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। तत्पश्चात प्रकरण में दावा, जवाबदावा एवं दस्तावेजो के आधार पर तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–4 के अनुसार वादग्रस्त आराजी राजस्थान सरकार के स्वामित्व में दर्ज है एवं उक्त खसरान में अपीलांट को किसी प्रकार का कोई आवंटन नहीं होना अधीनस्थ न्यायालय ने माना है साथ ही इस सबध में ऐसा कोई दस्तावेज अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट अपने कब्जे काश्त के संबध में कोई दस्तावेज हाजा न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम जूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालौर